

ऑनलाइन
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का
अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन
कर व उन्हें भली-भांति समझने
के पश्चात आयोग की वेबसाइट
पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का
प्रिंट निकालकर आवश्यक
जानकारियों की प्रविष्टि कर
साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।



प्रावधिक-पत्र
विज्ञापन की शर्तों के
अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001
फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 190 /01/चयन/2020

दिनांक 05/07/2021

साक्षात्कार-पत्र

सहायक प्राध्यापक -भूगोल (उच्च शिक्षा विभाग)

महोदय/महोदया,

सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली-पूर्वाह्न 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली- अपराह्न 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।

2.1 सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23.01.2019 के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता- विज्ञापन की कंडिका (iv)-(क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार होना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

Bksh

- 2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात पुनर्विधित प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।
- 2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.12 आपके द्वारा सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Bekash

3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
5. विशेष टीप :- उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.3, 2.4 2.5 एवं 2.6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2019 से की जायेगी।
- 6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।
- 6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं दो-दो छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6.7 नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हैंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हैंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3rd 5.7.2021
परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-भूगोल)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
14-07-2021	15-07-2021	190213100001	190213100084
		190213100002	190213100087
		190213100003	190213100088
		190213100006	190213100089
		190213100007	190213100095
		190213100012	190213100100
		190213100013	190213100102
		190213100014	190213100103
		190213100017	190213100104
		190213100018	190213100106
		190213100031	190213100114
		190213100036	190213100116
		190213100038	190213100121
		190213100042	190213100125
		190213100044	190213100128
		190213100048	190213100132
		190213100052	190213100133
		190213100053	190213100140
		190213100054	190213100143
		190213100055	190213100144
		190213100057	190213100146
		190213100059	190213100156
		190213100060	190213100158
		190213100061	190213100159
		190213100062	190213100160
		190213100064	190213100161
		190213100065	190213100163
		190213100067	190213100164
		190213100069	190213100166
		190213100070	190213100167
		190213100071	
		190213100075	
		190213100079	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-भूगोल)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
15-07-2021	16-07-2021	190213100194	190213100926
		190213100198	190213100940
		190213100240	190213100942
		190213100244	190213100960
		190213100245	190213100969
		190213100280	190213100982
		190213100288	190213100989
		190213100337	190213101029
		190213100398	190213101041
		190213100404	190213101047
		190213100405	190213101049
		190213100453	190213101058
		190213100459	190213101064
		190213100524	190213101076
		190213100590	190213101090
		190213100591	190213101093
		190213100613	190213101095
		190213100649	190213101100
		190213100655	190213101114
		190213100665	190213101156
		190213100721	190213101166
		190213100724	190213101190
		190213100735	190213101192
		190213100751	190213101202
		190213100769	190213101262
		190213100791	190213101313
		190213100830	190213101322
		190213100832	190213101328
		190213100834	190213101333
		190213100852	190213101337
		190213100868	
		190213100899	
		190213100906	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-भूगोल)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
16-07-2021	17-07-2021	190213101352	
		190213101364	
		190213101365	
		190213101382	
		190213101386	
		190213101402	
		190213101420	
		190213101423	
		190213101469	
		190213101486	
		190213101517	
		190213101553	
		190213101569	
		190213101577	
		190213101600	
		190213101615	
		190213101641	
		190213101648	
		190213101687	
		190213101688	
		190213101728	
		190213101749	
		190213101750	
		190213101769	
		190213101806	
		190213101957	
		190213101980	
		190213102024	
		190213102031	
		190213102079	

टीप :- आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

5.7.2021
 परीक्षा नियंत्रक
 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
 रायपुर